रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2006.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 21 अगस्त, 2006/30 श्रावण, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला (हि0 प्र0)

कारण बताओ नोटिस

शिमला, 29 जुलाई, 2006

संख्या पीसीएच-एसएमएल(4)33/90-3320-24.—यह कि श्री नारायण दत्त शर्मा, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत खटनोल पर पंचायत द्वारा यह शिकायत/आरोप लगाया गया था कि निर्माण रास्ता घाट से शोघी के निर्माण पर उप-प्रधान द्वारा सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है जिसमें मस्ट्रोल में उपस्थिति ज्यादा दर्शाना तथा मजदूरों को कम राशि की अदायगी करने सम्बन्धी आरोप लगाए गए थे ।

यह कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त लगाये गए आरोप की जांच दिनांक 16-6-2006 को ग्राम पंचायत खटनोल के मुख्यावास पर की गई तथा जांच के दौरान पाया गया कि श्री नारायण दत्त शर्मा, उप-प्रधान को रास्ता निर्माण घाट से शोघी मन्दिर हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण समृद्धि योजना के अन्तर्गत मु0 7000.00 रुपये की धनराशि गत ग्राम सभा की बैठक दिनांक 3-7-2006 में पारित प्रस्ताव संख्या 4 अनुसार वर्तमान ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत की गई ।

यह कि जांच दौरान पाया गया कि श्री नारायण दत्त शर्मा, उप-प्रधान द्वारा उक्त रास्ता निर्माण हेतु पांच मजदूर सर्वश्री हेम राज, कुन्दन लाल, केवल राम, चुनी लाल तथा जीवा नन्द को काम पर

लगाया, जिसमें उक्त मजदूरों को क्रमशः 9 दिन, 13-13 दिन, 11 दिन तथा पांच दिन कुल 51 दिन के मु0 70.00 रुपये प्रति दिन की दर से कुल राशि 3570.00 रुपये अदा की गई, जबकि श्री नारायण दत्त, उप-प्रधान द्वारा प्रस्तुत मस्ट्रोल में वर्णित उपरोक्त समस्त मजदूरों को 20-20 दिन की हाजरी दर्शा कर माह मार्च 2006 अनुसार कुल 100 दिन के मु0 70.00 रुपये की दर से 7000.00 रुपये का मस्ट्रोल तैयार कर अदायगी दर्शाई है । इस तरह उप-प्रधान द्वारा मु0 3430.00 रुपये का झूठा मस्ट्रोल तैयार कर राशि का दुरुपयोग/छलहरण किया गया है ।

यह कि निर्माण रास्ता घाट से शोघी मन्दिर पर जिन उपरोक्त मजदूरों ने कार्य किया उनको मौका पर बुला कर उनके ब्यानात प्रधान, उप-प्रधान तथा समस्त उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति में लिए गए, जिसमें तीन मजदूरों क्रमशः श्री जीवा नन्द शर्मा, श्री हेम राज व श्री केवल राम द्वारा अपने ब्यान में कहा गया है कि उप-प्रधान द्वारा जो मस्ट्रोल मु0 7000.00 रुपये का जिसमें हमें 1400-1400 रुपये अदा किए गए दर्शाये गए हैं पर हमारे हस्ताक्षर नहीं हैं, और मस्ट्रोल पर हमारे जाली हस्ताक्षर किए गए हैं । वास्तव में उन द्वारा क्रमशः 5 दिन, 9 दिन व 13 दिन कार्य किया गया, जिसके उप-प्रधान श्री नारायण दत्त द्वारा उन्हें क्रमशः मु0 350.00 रुपये, 630.00 रुपये तथा 910.00 रुपये अदा किए गए हैं ।

यह कि अन्य दो मजदूरों सर्वश्री चुनी लाल तथा श्री कुन्दन लाल द्वारा क्रमशः 11 व 13 दिन उक्त कार्य पर कार्य किया, जिसके उप-प्रधान द्वारा मु0 770.00 रुपये तथा 910.00 रुपये अदा किए गए हैं । श्री चुनी लाल द्वारा अपने ब्यान में यह कहा गया है कि उप-प्रधान द्वारा कितने दिनों का मस्ट्रोल तैयार किया गया है उसके बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं है यद्यपि मस्ट्रोल पर उस द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं । श्री कुन्दन लाल द्वारा अपने ब्यान में स्पष्ट किया है कि उसने उक्त कार्य पर 13 दिन काम किया है, जिसके उसे 910.00 रुपये अदा किए गए हैं तथा मस्ट्रोल पर उस द्वारा ही हस्ताक्षर किए गए हैं ।

यह कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री नारायण दत्त, उप-प्रधान द्वारा मजदूरों के जाली हस्ताक्षर कर व अधिक दिनों की उपस्थिति दर्शा कर मु0 3430.00 रुपये की राशि का दुरुपयोग किया गया है तथा मौका पर कार्य भी घटिया स्तर का पाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जहां एक ओर श्री नारायण दत्त द्वारा उप-प्रधान जैसे गरिमापूर्ण पद का दुरुपयोग कर राशि का छलहरण किया है वहीं दूसरी ओर वह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधान अनुसार सौंपे गये कर्त्तव्यों एवं शक्तियों को भली भान्ति निभाने में भी असफल रहे हैं, जिसके लिए उनके विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जानी अनिवार्य है ।

अतः मैं, जोगिन्द्र कुमार शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(1) (सी) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न उन्हें उक्त कृत्य के लिए उनके पद से निलम्बित किया जाए । श्री नारायण दत्त शर्मा, उप-प्रधान उपरोक्त आरोप पर अपना स्पष्टीकरण इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी, बमन्तपुर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें । विहित अवधि के भीतर उत्तर प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

जोगिन्द्र कुमार शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
शिमला, जिला शिमला (हि0प्र0) ।

नियन्त्रण मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित